

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 द्वारा नियंत्रित होती है। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखापरीक्षक करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधायतों द्वारा नियंत्रित की जाती है। 31 मार्च 2012 को मध्यप्रदेश राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के 55 कार्यशील उपक्रम (51 कम्पनियां तथा 4 सांविधिक निगम) और 09 अकार्यशील उपक्रम (सभी कम्पनियां) थे, जिनमें 0.58 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने 30 सितम्बर 2012 तक अपने अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार वर्ष 2011-12 में ₹ 37,949.25 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 12.03 प्रतिशत के बराबर है। यह व्यवसाय अर्थव्यवस्था में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्वाह की गई महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इंगित करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2012 को सार्वजनिक क्षेत्र के 64 उपक्रमों में निवेश (पूँजी तथा दीर्घकालीन ऋण) ₹ 33511.25 करोड़ रुपये था। इसमें 2006-07 से ₹ 20537.35 करोड़ रुपये में 63.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्युत क्षेत्र में 2011-12 में कुल निवेश की 90.24 प्रतिशत के लगभग लेखांकित की गई। सरकार ने 2011-12 के दौरान समता पूँजी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 8874.74 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

वर्ष 2011-12 के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार 30 सितम्बर 2012 तक अद्यतन सार्वजनिक क्षेत्र के 55 कार्यशील उपक्रमों में से सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों ने ₹ 190.08 करोड़ का लाभ अर्जित किया और सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों ने ₹ 2487.49 करोड़ की हानि उठायी शेष पाँच कम्पनियों ने अपने प्रथम लेखे नहीं दिये थे। सार्वजनिक क्षेत्र कार्यशील उपक्रमों में संचयी हानि ₹ 15348.27 करोड़ रुपये थी।

हानि का कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति में विभिन्न प्रकार की कमियों का होना बताया गया। नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के तीन वर्गों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक समीक्षा से प्रकट हुआ कि, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ₹ 1179.91 करोड़ रुपये की हानियों तथा ₹ 218.95 करोड़ रुपये के निष्फल निवेश पर अपेक्षाकृत अच्छे प्रबंधन से नियंत्रण पाया जा सकता था। इस प्रकार कार्यपद्धति में सुधार तथा हानियों को न्यूनतम/परिहार की जबरदस्त गुंजाइश थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केवल तभी कुशलतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते थे जब वे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हों। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों में व्यवसायिकरण एवं उत्तरदायित्वता की जरूरत है।

लेखाओं की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 के दौरान अन्तिम रूप दिये गये समस्त 50 लेखाओं को सांविधिक लेखापरीक्षा से अहर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुये थे। जिसमें लेखाकरण मानकों का पालन न करने के 68 उदाहरण थे। कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों में उनके कमजोर क्षेत्रों की ओर भी इंगित किया गया था।

लेखाओं के बकाया तथा समाप्त

सितम्बर 2012 तक 26 कार्यशील उपक्रमों के 63 लेखे बकाया थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लक्ष्य निर्धारित करके बकाया समाप्त करने की आवश्यकता है। प्रदेश में 09 अकार्यशील कम्पनियां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों को बनाए रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होना है। अतः इन्हें शीघ्र बन्द करने की आवश्यकता है।

(अध्याय-1)

सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

प्रस्तावना

मध्य प्रदेश में विद्युत पारेषण एवं ग्रिड संचालन का प्रबंधन और नियंत्रण मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी) द्वारा किया जाता है जो कि कुशल, पर्याप्त एवं समन्वित ग्रीड प्रबंधन तथा विद्युत पारेषण करने के लिए अधिकृत है। कंपनी अधिनियम 1956, के अंतर्गत कंपनी का निगमन नवंबर 2001 में हुआ।

कंपनी द्वारा वर्ष 2007–08 के दौरान 33,710 मिलियन यूनिट (एम.यू.) विद्युत पारेषित की गई जो कि 2011–12 में बढ़कर 40,692 एम.यू. हो गई, अर्थात् 2007–12 के दौरान 20.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी का पारेषण तंत्र 31 मार्च 2012 को 27,060.67 सर्किट किलोमीटर (सी.के.एम.) और 247 अति उच्च दाब उपकेन्द्र जिनकी स्थापित क्षमता 35,544 मेगावाट एम्पीयर (एम.व्ही.ए.) थी, जो कि वार्षिक 40,692 एम.यू. पारेषण करने में सक्षम थे। 31 मार्च 2012 को कंपनी में 5365 कर्मचारी कार्यरत थे।

नियोजन एवं विकास

केन्द्रीय पारेषण इकाई (सी.टी.यू.) और राज्य पारेषण इकाईयों (एस.टी.यू.) के पास सभी संबंधित एजेन्सियों में समन्वय के साथ राष्ट्रीय विद्युत योजना पर आधारित तंत्र के नियोजन और विकास का उत्तरदायित्व है।

68 अति उच्च दाब वाले उपकेन्द्रों के निर्माण, 11,036 एम.व्ही.ए. की परिवर्तन क्षमता में वृद्धि एवं 6914.88 सर्किट किलोमीटर लाईन बिछाने के लक्ष्य के विरुद्ध कंपनी ने 49 अति उच्च दाब उपकेन्द्र, 10,693.50 एम.व्ही.ए. परिवर्तन क्षमता स्थापित की और 6172.54 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाईने बिछाई।

उपकेन्द्रों एवं लाईनों का निर्माण

कंपनी द्वारा अति उच्च दाब उपकेन्द्र एवं पारेषण लाईनों के इरेक्शन एवं कमीशनिंग

का कार्य चलाया गया। वर्ष 2007–12 के दौरान पूर्ण हुये कार्य की नमूना लेखापरीक्षा से पता चला कि चार माह से 40 माह के लिए काम को पूरा होने में देरी के कई उदाहरण थे जिसका कंपनी के भौतिक और वित्तीय उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

अपर्याप्त मांग के चलते पवर्ड अति उच्च दाब उपकेन्द्र एवं 132 के.व्ही. लाईन ₹ 15.29 करोड़ से निर्मित अनुपयोगी बनी रही। सतना–छतरपुर लाईन के पूर्ण होने में देरी के कारण ₹ 12.37 करोड़ की कीमत से बना छतरपुर का अति उच्च दाब उपकेन्द्र 11 माह से भी ज्यादा अनुपयोगी पड़ा रहा।

अति उच्च दाब उपकेन्द्र सागर से संबंधित लाईनों के पहले निर्माण हो जाने के कारण ₹ 6.57 करोड़ की लागत से बनी लाईने 11 से 17 माह तक व्यर्थ पड़ी रही।

परिसंविदा प्रबंधन

कंपनी ने 315 एम.व्ही.ए. वाले विद्युत ट्रांसफॉर्मर एवं उसकी सहायक सामग्री को खरीदने में फोर्स मेजर क्लोज लगाया जिससे आपूर्तिकर्ता को लाभ हुआ और कंपनी को तरल नुकसान के कारण ₹ 24.13 करोड़ कम वसूल हुये।

70 के.एन. और 90 के.एन. के डिस्क इन्स्लूलेटर को खरीदने के आदेश में जोखिम और लागत उपवाक्य के संचालन में कंपनी असफल रही जिससे फेल हुए इन्स्लूलेटर को बदलने में लगा अतिरिक्त ₹ 36.46 लाख कम वसूला गया।

पारेषण व्यवस्था का प्रदर्शन

वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक कंपनी के पास उच्चतम माँग पर अतिरिक्त क्षमता परिवर्तन था (220 के.व्ही.)। जिसकी रेंज 318 एम.व्ही.ए. से 2985 एम.व्ही.ए. थी और आगे आठ 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के पास अनुमति की क्षमता से अधिक क्षमता थी।

जिसकी कीमत ₹ 48.75 करोड़ थी। 51 अति उच्च दाब सबस्टेशन के पास मात्र एक ट्रान्सफॉर्मर था जबकि वहाँ दो होने चाहिए थे।

कंपनी को अभी तक 220 के.व्ही. के 55 अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में से 38 उपकेन्द्रों में बसार प्रोटेक्शन पेनल लगाना है। कंपनी ने पारेषण नुकसान को कम करने के लिए किसी भी वित्तीय जवाबदेही के बिना एक नवीन अवधारणा को विकसित किया है।

ग्रिड प्रबंधन

220 के.व्ही. और उससे कम क्षमता वाले 242 उपकेन्द्रों में से 46 में ही रिमोट टर्मिनल इकाई स्थापित की गई है। कंपनी में 211 मौकों पर बैंकिंग डाउन निर्देश जारी किये, जिसका सभी उत्पादकों द्वारा पालन किया गया है।

वित्तीय प्रबंधन

कंपनी की कर पूर्व हानि प्रतिशत 92.29 से कम हुआ। वर्ष 2007–08 में 39.94 करोड़ से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 3.10 करोड़ हो गया है। कंपनी ने विधुत प्रदाय उत्पलब्धता प्रभार का दावा विधुत वितरण कंपनी से करने में देरी की जिसके फलस्वरूप ₹ 8.17 करोड़ की देय राशि अप्राप्त है। पावर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन से उठाई गई ऋण की किश्त के भुगतान में देरी के कारण दण्डित ब्याज और ब्याज पर ब्याज ₹ 1.91 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सामग्री प्रबंधन

लेखों में प्रदर्शित अंतिम स्कन्ध का मूल्य स्टोर अभिलेखों से मैल नहीं खाता। अप्रचलित/अवशिष्ट को नियमित आधार पर निपटाने के बजाये वे समापन स्कन्ध में 25 प्रतिशत से भी अधिक थे।

निष्कर्ष एवं अनुशंसायें

नये अति उच्च दाब उपकेन्द्रों और लाईनों के निर्माण और इसके अलावा परिवर्तन क्षमता में वृद्धि योजना को कंपनी हासिल नहीं कर सकी। कार्यों को पूरा होने में 4 से 10 महीने की देरी के कई उदाहरण थे। कंपनी ने ₹ 24.13 लाख के तरल क्षति को ठेकेदारों से कम वसूला। कंपनी ने पारेषण नुकसान को कम करने के लिए बिना किसी वित्तीय जवाबदेही के एक नवीन प्रयोग किया है। 220 के.व्ही. से कम क्षमता वाले 242 उपकेन्द्रों में 46 में ही आर.टी.यू. स्थापित किया। कंपनी पी.एफ.सी. के लिए ऋण को ब्याज सहित समय के भीतर चुकाने में असमर्थ रही। खाते में प्रदर्शित अंतिम स्कन्ध का मूल्य स्टोर अभिलेखों से मैल नहीं खाता।

हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी अति उच्च दाब वाले उपकेन्द्रों के निर्माण में देरी के कारणों का विश्लेषण करें और वैकल्पिक तरीकों की तलाश करें जिससे कि कार्य तय समय सीमा के अन्दर हो सके। अनुबंध में प्रावधानों के तहत तरल क्षति को वसूला जा सके। सभी अति उच्च दाब उपकेन्द्रों पर आर.टी.यू. स्थापित करें, ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन के अवसरों को कम से कम किया जा सकें और अप्रचलित भंडार की सूची बना कर विधुत वितरण कंपनी में प्रसारित करें ताकि उनका यथा सम्भव उपयोग हो सके।

(अध्याय-2)

2.2 मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना (मई 1978) में मध्यप्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में, राज्य में पर्यटन के विकास के लिये किया गया था। वर्तमान निष्पादन

लेखापरीक्षा पर्यटन नीति तथा मध्यप्रदेश सरकार से निष्पादित समझौता ज्ञापन में निहित उद्देश्य को भितव्यिता प्रभावशाली तथा कुशलता पूर्वक मूल्याकांन जाँचने हेतु किया गया।

राज्य पर्यटन नीतियां एवं मध्य प्रदेश सरकार से समझौता ज्ञापन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1995 की पर्यटन नीति में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा पर्यटन के संतुलित एवं सम्पूर्ण विकास के लिये नई पर्यटन नीति अक्टूबर 2010 में निर्मित की गयी। कंपनी ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कोई योजना तैयार नहीं की और पर्यटन के विकास के लिये संयुक्त उद्यमों के माध्यम से निजी क्षेत्र को आंभत्रित करने में असफल रही। पर्यटक आगमन वर्ष 2007–08 में ₹ 141.28 लाख से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 443.89 लाख हो गया। (वृद्धि 214.19 प्रतिशत) जो कि पर्यटन आगमन के आँकड़ों में नये केन्द्र को शामिल करने के कारण था। आगे यह भी कि कंपनी के लेखों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण मध्य प्रदेश सरकार से निष्पादित समझौता ज्ञापन में कंपनी ने लाभ के प्रावधिक आँकड़े प्रतिवेदित किये।

ईकाईयों का चालन निष्पादन

कंपनी के पास पर्यटकों की शिकायतों को जानने की कार्यप्रणाली थी तथा होटल/रेस्टोरेन्ट में साफ सफाई आदि की समुचित व्यवस्था थी। भोपाल-इन्डौर मार्ग पर चलने वाली बसों का निष्पादन संतोषजनक था। कंपनी की ईकाईयां, कंपनी द्वारा निर्धारित किये गये चालन अनुपात प्राप्त करने में असमर्थ रही। वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान चालन अनुपात का लक्ष्य 56 से 65.75 प्रतिशत था जबकि वास्तविक चालन अनुपात 66 और 73 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान औसत आक्युपेंसी 44 तथा 48 प्रतिशत के बीच रही, जो कि अखिल भारतीय औसत आक्युपेंसी की सीमा 59.90 से 69.4 प्रतिशत से कम थी। कंपनी ने वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान 9 होटलों की टैरिफ दरों में 27 से 102 प्रतिशत की वृद्धि की, यह वृद्धि उक्त होटलों की कम आक्युपेंसी (15 से 44 प्रतिशत के बीच) को ध्यान में रखकर नहीं की गयी थी। इसके परिणाम स्वरूप पाँच होटलों की आक्युपेंसी में कमी हुई तथा शेष चार होटलों की आक्युपेंसी में नाममात्र वृद्धि हुई। कंपनी की 32 ईकाईयां न तो चालन अनुपात, लक्षित स्तर पर रख सकी और न ही निर्धारित खाद्यान्न सीमा के मेन्टेन कर

सकी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.81 करोड़ की खाद्यान्न लागत अधिक रही। कंपनी ने वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान 13 ईकाईयों को लिजिंग/निजीकरण हेतु पहचान की, किन्तु दिसम्बर 2012 तक केवल चार ईकाईयां लीज पर दी जा सकी। कंपनी को भूमि के अल्प मूल्यांकन के कारण ₹ 4.56 करोड़ की हानि हुई।

विपणन

कंपनी ने वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में प्रचार तथा पर्यटन के संवर्धन हेतु राज्य सरकार तथा वित्त आयोग से ₹ 76.95 करोड़ प्राप्त किये तथा ₹ 78.07 करोड़ खर्च किये। कंपनी ने इलेक्ट्रोनिक मिडिया पर दिये गये विज्ञापनों पर, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजियुवल पब्लिसिटी (डीएक्सीपी) द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर भुगतान किया तथा डीएक्सीपी दरों पर विज्ञापन देने से असफल रही।

वित्तीय प्रबंधन

कंपनी ने वर्ष 2007–08 में ₹ 58.54 करोड़ की आय के विरुद्ध ₹ 1.67 करोड़ का लाभ अर्जित किया जो वर्ष 2010–11 में ₹ 89.41 करोड़ की आय के विरुद्ध, घटकर ₹ 0.65 करोड़ रह गया। कंपनी ने वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान स्थायी जमा में रखे गये अव्ययतीत अनुदान के ब्याज ₹ 18.80 करोड़ की स्वंय की आय दिखाया। कंपनी द्वारा विविध देनदारी की वसूली की प्रगति उल्लेखनीय नहीं थी। कंपनी ने वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान ₹ 248.94 करोड़ अनुदान के रूप में भारत सरकार, वित्त आयोग तथा मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त किये। वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में उपलब्ध अनुदानों की उपयोगिता का प्रतिशत 42.52 से 56.32 प्रतिशत के मध्य रहा। कंपनी ने अनुदान खर्च किये बिना ₹ 3.12 करोड़ वित्त आयोग की 10 योजनाओं में, ₹ 4.90 करोड़ भारत सरकार की सात योजनाओं में तथा ₹ 0.93 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार की चार योजनाओं में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये। साथ ही वित्त आयोग की पांच योजनाओं में ₹ 1.53 करोड़ तथा भारत सरकार की

तीन योजनाओं में ₹ 0.72 करोड़ का विचलन किया।

कंपनी ने भारत सरकार की 13 योजनाओं में ₹ 21.36 करोड़ समर्पित न करते हुए अनुदान शर्तों का उल्लंघन किया।

सूचना प्रोद्योगिकी प्रणाली का क्रियान्वयन

कंपनी ने वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में ₹ 24.59 लाख का व्यय परियोजना प्रबंधन, होटल प्रबंधन तथा वित्त एवं पेट्रोल प्रबंधन हेतु विकासशील सॉफ्टवेयर पर किया किन्तु इन सॉफ्टवेयर का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं करा सकी (दिसंबर 2012)।

जनशक्ति प्रबंधन

कंपनी के पास 2287 कर्मचारियों की आवश्यकता के विरुद्ध, 1909 कर्मचारी उपलब्ध थे (662 नियमित तथा 1247 ऐजेन्सी कर्मचारी) अतः 378 कर्मचारी कम थे।

निगरानी, आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक अंकेक्षण

कंपनी द्वारा संचालन मंडल के समक्ष वार्षिक चालन योजना, राजस्व बजट, पूँजीगत बजट, राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन, तिमाही परिचालन परिणाम आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी साथ ही समयावधि में संपत्तियों स्टॉक, रोकड़, स्टोर्स आदि के भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया। कंपनी के पास अपने व्यवसाय

के समरूप तथा प्रकृति के अनुसार आंतरिक अंकेक्षण की प्रभावी प्रणाली का आभाव था।

निष्कर्ष एवं अनुशंसा

कंपनी ने पर्यटन निधियों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कोई योजना नहीं बनाई तथा नई ईकाईयों तथा हानि दर्शाने वाली ईकाईयों की निजि क्षेत्र में, लीजिंग करने में असफल रही। आक्युपेंसी की दर अखिल भारतीय औसत से बहुत कम रही। प्रभावी प्रचार-प्रसार तथा पर्यटन संवर्धन हेतु कोई विपणन निति नहीं बनाई। कंपनी लेखाओं के शीघ्र अंतिमिकरण तथा विविध देनदारी के विवेकपूर्ण प्रबंधन में वित्तीय दूरदर्शिता लाने में असफल रही। कंपनी भारत सरकार/मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुदानों में स्वीकृत की शर्तों पर अमल करने में असमर्थ रही। कारपोरेट प्रबंधन को अपनाने में कमी रही तथा आंतरिक अंकेक्षण अपर्याप्त था।

हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी पर्यटन निति के परिपेक्ष में अपनी क्रियाओं को परिभाषित करते हुए एक कारपोरेट प्लान बनाये, आक्युपेंसी मानक वैज्ञानिक रूप से निर्धारित करे, समय पर लेखाओं की पूर्णता सुनिश्चित कर, वित्तीय प्रबंधन में सुधार करे, अनुदानों की शर्तों पर अमल करते हुए उनका सही उपयोग करें, आंतरिक नियंत्रण व आंतरिक अंकेक्षण को मजबूत करते हुए कारपोरेट प्रबंधन को मजबूत करें।

(अध्याय-2)

3. लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियाँ और संबंधित गंभीर वित्तीय जटिलता दर्शाती हैं। उल्लेखित अनियमिततायें सामान्यतः निम्नांकित प्रकृति की हैं।

नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन न किये जाने के कारण दो प्रकरणों में ₹ 4.18 करोड़ की हानि।

(कंडिकाए 3.3 एवं 3.5)

अकुशल/त्रुटिपूर्ण योजना के कारण एक प्रकरण में ₹ 3.03 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.1)

संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा न किए जाने के कारण चार प्रकरणों में ₹ 8.52 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.3, 3.4, 3.6 एवं 3.7)

कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :—

अपने वार्षिक राजस्व के एक प्रतिशत की स्वीकृत सीमा से कम छूबत ऋण का दावा करने के कारण **मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड** को ₹ 6.99 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.6)

नवीन शुरू की गयी इकाईयों के लिए अंतिम टैरिफ याचिका दायर करने में देरी के कारण **मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड** को ₹ 3.14 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.3)

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (आर.एस.एम.एल.) के मूल्यों के आधार पर मूल्य पुनरीक्षण करने में विफलता के कारण **मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड** को ₹ 77.68 लाख की हानि हुई।

(कंडिका 3.7)

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से निविदा को अंतिम रूप देने में विफलता के कारण **मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड** ने ₹ 30.70 लाख का परिहार्य भुगतान किया।

(कंडिका 3.2)

(अध्याय 3)